

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा



2015–2016

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा
संबंद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति
चिकित्सालय मे केन्द्रिय पंजीयन एवं एम.आर.डी. समरस्त
अनुसंधरण का कार्य आउट सोर्स माध्यम से संचालित करने
हेतु चतुर्थ निविदा का प्रारूप एवं भार्ते ।

निविदा फार्म का मूल्य रु. 5000.00

निविदा प्रपत्र क्रमांक.....

रसीद क्र.....

दिनांक.....

निविदा आवेदन प्रपत्र

निविदाकर्ता अपने स्वयं के लेटर हेड पर इस प्रारूप में निविदा प्रपत्रों की भार्तों के अनुसार निविदा प्रस्तुत करेगें।

प्रति ,

**संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा**

विशय:- गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा में केन्द्रीय पंजीयन का कार्य एवं एम.आर.डी. समस्त अनुसंधरण का कार्य आउट सोर्स माध्यम से संचालित करने हेतु निविदा।

संदर्भ:- स्थानीय समाचार पत्र.....के दिनांक.....के संस्करण में प्रकारि आपका विज्ञापन क्र.....दिनांक.....

श्रीमान,

विश्यान्तर्गत हम/मै गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में केन्द्रीय पंजीयन का कार्य एवं एम.आर.डी. समस्त अनुसंधरण का कार्य आउटसोर्स के माध्यम से संचालित करने हेतु संलग्न प्रपत्र में दर सहित अपनी निविदा आवेदन सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

मुझे निविदा प्रपत्र मे संलग्न सभी भार्ते मजूर हैं।

1. निविदाकर्ता का नाम.....
2. संस्था/दुकान/कम्पनी का नाम एवं भील.....
3. संस्था/दुकान/कम्पनी का पूर्ण पता.....मोबाइल नं.....
.....कार्यालय फोन नं.....निवास फोन नं.....

आवश्यक दस्तावेज जो संलग्न करना अनिवार्य है:-

1-	मूल निविदा प्रपत्र प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर व सील
2-	अमानत राशि के रूप मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम रु. 100000. 00 (एक लाख) का डी.डी क्रमांक.....दिनांक.....
3-	फर्म/संस्था की रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति जिसमे फर्म/संस्था का व्यवसाय साफ्वेयर डेवलपमेन्ट, इनफार्मेशन टेक्नालॉजी आदि का उल्लेख हो।
4-	आयकर रिटर्न वर्ष 2011–12,2012–13,2013–14 की रसीद
6-	सर्विस टैक्स जमा करने के चालान की छायाप्रति।
7-	100.00 राशि के नान जूडिसियल स्टेम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलतः
8-	100 बिस्तरों वाले शासकीय चिकित्सालय में केन्द्रीय पंजीयन व्यवस्था एवं मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेन्ट संधारण का कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।
9	पैन कार्ड की छायाप्रति
11	सर्विस टैक्स नं. की छायाप्रति
12	02 वर्ष की बैलेंस सीट सी.ए. द्वारा प्रमाणित 2012–13,2013–14 जिसमे टर्न ओवर रु. 10.00 लाख से कम न हो।
13	दर सूची (प्राइस विड)

निविदाकार के हस्ताक्षर

गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

निविदा प्रपत्र

गांधी स्मारक चिकित्सालय / संजय गांधी समृद्धि चिकित्सालय रीवा में केन्द्रीय पंजीयन एवं
एम.आर.डी. हेतु निविदा वर्ष 2015–016 ।

कोरे निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	10.6.2015. सायं 3 बजे तक
भरी हुई निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	16.6.2015. सायं 3 बजे तक
प्राप्त निविदा खोलने का दिनांक एवं समय	17.6.2015 दोपहर 12:30 बजे
अमानत राम १ रु.	रु.100000.00 (एक लाख) डी.डी
निविदा प्रपत्र भुल्क	रु. 5000.00 (पाँच हजार)डी.डी

निविदा जमा करने हेतु नियम एवं शर्तें

1. निविदा पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, हाथों हाथ में से किसी भी एक माध्यम द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी । पोस्टल विलंब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।
2. निविदा फार्म चिकित्सा महाविद्यालय की बेबसाइट www.ssmcrewa.com से डाउनलोड भी किये जा सकते हैं । निविदा फार्म बेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त करने की स्थिति में निविदाकार को निविदा फार्म की मूल्य का बैंक ड्राफट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो निविदा फार्म जमा करने के पूर्व संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक के कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त करना होगा, ऐसा नहीं करने की स्थिति में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी । निविदा फार्म शुल्क की राशि वापस नहीं की जावेगी ।
3. निविदा के साथ रु. 100000.00 (एक लाख) मात्र की सुरक्षा राम १ के रूप में किसी भी राश्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम हो संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी ।
4. कृपया प्रत्येक लिफाफे को पूर्ण रूप से चपडे वाली सील से ही सील कर बंद करें ।
5. अपूर्ण फार्म को नहीं शामिल किया जावेगा एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी । इस बाबत किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जावेगा ।

6. निविदाकर्ता द्वारा निविदा दो अलग—अलग लिफाफों मे जिसमे ए, लिफाफे मे मांगे गये समस्त दस्तावेज (तकनीकी बिड) एवं लिफाफा बी मे प्राइस बिड रखकर सील बंद किया जावे , इन दोनो सीलबंद लिफाफों को लिफाफा सी (आउटर लिफाफा) के अंदर रखकर सीलबंद किया जावे ।
7. चिकित्सालय में लगभग प्रतिदिन 150—200 मरीज भर्ती होते हैं, 100—150 मरीज डिस्चार्ज किये जाते हैं तथा 1200—1500 के बीच बाह्य रोगी मरीजों का पंजीयन होता है ।

निविदा को खोलना :-

1. निविदा फार्म निम्नानुसार खोला जावेगा –

(ए) लिफाफा ए खोलने की तिथि अधिष्ठाता कार्यालय के कान्फ्रेस हाल मे दिनांक..... को दोपहर 12:30 बजे खोला जावेगा । जिसमे निविदाकार या उसके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकता है । यदि निविदा फार्म के लिफाफा ए मे कोई कमी पाई जाती है तो निविदा मान्य नहीं की जावेगी । निविदा शुल्क रु. 5,000/- वापस नहीं किया जावेगा ।

(बी) तकनीकी बिड खोलने के साथ निविदाकार को अपने द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का प्रस्तुतीकरण वास्तविक आधार पर करना अनिवार्य होगा ।

(सी) लिफाफा बी (प्राइस बिड को खोलना) – जिन निविदाकारों की तकनीकी बिड निविदा शर्तो के अनुरूप पाई जावेगी तथा हार्डवेयर/साफ्टवेयर प्रस्तुतीकरण कमेटी द्वारा अनुशंसित होगा । उन्हीं निविदाकारों की प्राइस बिड चिकित्सा महाविद्यालय के कान्फ्रेस हाल मे खोली जावेगी जिसमे निविदाकार या उसके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है । इसकी सूचना पृथक से दी जावेगी ।

निविदा फार्म भरने का तरीका –

1. पता – निविदाकार अपना पूरा पता लिखें जिससे की उनके पते का सत्यापन सामान्य रूप से किया जा सके । अपूर्ण पता बिड के निरस्त होने का कारण बन सकता है ।
2. नामांकित प्रतिनिधि – निविदाकार स्वयं या उसका मात्र एक नामांकित प्रतिनिधि ही निविदा खुलते समय उपस्थित रह सकता है । नामांकित प्रतिनिधि को निविदाकार द्वारा जारी किया अधिकृत मूल पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा जिसमें निविदाकार द्वारा उसके हस्ताक्षर को सत्यापित किया हो ।
3. अधिकृत व्यक्ति – जैसे ही निविदाकार से प्रतिनिधि अधिकृत होने का पता चलता है वैसे ही वह व्यक्ति इस आशय का पत्र (सील सहित) से संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा को अवगत करायेगा कि उसके पास निविदाकार का इस आशय का अधिकार है कि वह निविदाकार की तरफ से निर्णय ले सकता है जो कि निविदाकार को मान्य होगी ।
4. किसी भी स्थिति मे क्रय किया गया निविदा फार्म का शुल्क वापस योग्य नहीं होगा एवं किसी भी प्रकार से एक बार जमा करने पर निविदा फार्म वापस नहीं किया जावेगा ।
5. निविदा आवेदन पत्र चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकेंगे । निविदा जमा करनें की निर्धारित तिथि एवं समय तक ही निविदा फार्म जमा किये जा सकेंगे । वेबसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा फार्म के साथ निविदा आवेदन फार्म का मूल्य रु. 5000.00 का (पाँच हजार) का डिमाण्ड ड्राफ्ट पृथक से अधोहस्ताक्षरकर्ता के

कार्यालय मे जमा कर उसकी रसीद प्राप्त करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आवेदन फार्म इस कार्यालय मे प्राप्त किये जाएंगे।

धरोहर राशि जमा करना –

1. निविदा के साथ रु. 100000.00 (एक लाख) मात्र की सुरक्षा राई के रूप में किसी भी राश्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम हो संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
2. यदि किसी एक निविदाकार की निविदा स्वीकृत होती है तो अन्य निविदाताओं को उनकी धरोहर राशि बिना ब्याज के तीन माह मे वापस कर दी जावेगी।

उपलब्ध अधोसंरचना / जगह –

1. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के बाह्य रोगी विभाग के ग्राउड फ्लोर पर बाह्य रोगियों की पर्चियां जारी करने हेतु कम्प्यूटर स्थापित करने के लिये स्थान उपलब्ध है।
2. आकस्मिक चिकित्सा विभाग मे भर्ती रोगियों की पर्ची, विजटर पास एवं विभिन्न जाचों की रसीदें जारी करने हेतु कम्प्यूटर के लिये स्थान निर्धारित है।
3. उक्त स्थान के अतिरिक्त चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा निविदाकार को चिकित्सालय भवन मे एक रुम मेन सर्वर रखने हेतु उपलब्ध कराया जावेगा।
4. सभी निविदाकार चाहे तो उपलब्ध जगह का संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा द्वारा अनुमति प्राप्त कर निरीक्षण किया जा सकता है।
5. सफल निविदाकार को आन्तरिक साज-सज्जा स्वयं करानी होगी तथा अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर इसका कोई खर्च नहीं दिया जावेगा और न ही इसकी मांग की जावेगी।

अन्य शर्तें –

1. निविदाकार को निर्धारित कार्य हेतु 20 आधुनिक नेटवर्क कम्प्यूटर लेजर प्रिन्टर तथा आवश्यकतानुसार सर्वर एवं अन्य उपकरण निर्धारित स्थानों पर स्थापित करने होंगे। सभी कम्प्यूटरों में आधुनिक मेडिकल हॉस्पिटल साफ्टवेयर तथा आई.सी.डी.-10 क्लासिफेकेशन ऑफ डिजीजेज का साफ्टवेयर लगा होना अनिवार्य होगा। भविष्य में चिकित्सलय के अन्य स्थानों पर 50 कम्प्यूटरों का विस्तार किया जावेगा। जिसके लिये उतनी क्षमता का सर्वर लगाना होगा।
2. कम्प्यूटरों के संचालन हेतु निविदाकार को योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं के व्यय में करनी होगी नियुक्त किये गये कर्मचारियों कि विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय

में जमा करानी होगी। कर्मचारियों को चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा निर्धारित समय सीमा तक कम्प्यूटर पर कार्य करने होगे।

3. निविदाकार को समेकित केन्द्रीय पंजीयन कार्य,ओपीडी/आईपीडी की जॉच रसीदें,डिस्चार्ज टिकिट, मेडिसिन इस्यु स्लिप, विजटर पास, नये एवं पुराने मरीजों का अलग पंजीयन, मेडिकल रिकार्ड डिपार्टमेन्ट का समस्त इनपुट कार्य संपादित करना होगा।
4. निविदाकार द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय प्रबंधन की नहीं होगी और न ही महाविद्यालय/चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा निविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अपने पास कार्य करने हेतु नियुक्त करेगा।
5. 05 कम्प्यूटर 24 घण्टे चालू रहेंगे। 15 कम्प्यूटर कार्यालयीन समय अनुसार/बताए अनुसार कार्य करेंगे। विभिन्न स्थानों पर कम्प्यूटर की स्थापना हेतु प्रथम पक्ष द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जावेगा। फर्नीचर साज—सज्जा तथा आवश्यकतानुसार अन्य सामग्री की व्यवस्था निविदाकार को स्वयं करनी होगी जिसके लिये पृथक से कोई राशि नहीं दी जावेगी।
6. प्राईस बिड खोलने के पूर्व अपने द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कम्प्यूटर हार्डवेयर व साफ्टवेयर का प्रस्तुतीकरण करना होगा। तकनीकी समिति के द्वारा प्रस्तुतीकरण पर सहमत होने पर ही संबंधित निविदाकार की प्राईज बिड खोली जावेगी।
7. निविदाकार द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी की दुर्घटना/मृत्यु होने पर चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा कोई अनुकम्पा/क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं करेगा।
8. निविदाकार को अपने कर्मचारियों को यूनिफार्म एवं फोटोयुक्त परिचय पत्र स्वयं के व्यय पर बनबा के देने होगे तथा निविदाकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अपने निर्धारित यूनिफार्म एवं परिचय पत्र के साथ उपस्थित होना पड़ेगा।
9. निविदाकार को म0प्र0 मे प्रचलित सभी श्रम कानून का पालन करना होगा तथा पी.पी.एफ. इत्यादि का लेखा प्रस्तुत करना होगा।
10. निविदाकार को अपने कर्मचारियों का फोटोयुक्त बायोडाटा पुलिस सत्यापन सहित संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा में जमा करना होगा।
11. निविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों मे से किसी के अवकाश पर जाने या नौकरी छोड़ने पर चिकित्सालय का पंजीयन कार्य बाधित न हो इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वयं निविदाकार की होगी।
12. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंद्ध चिकित्सालय रीवा प्रबंधन द्वारा अधिकृत कर्मचारियों को निविदाकार/निविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा द्विपक्षीय पूर्ण सहयोग करना होगा। किसी प्रकार की शिकायत आने एवं जॉच मे सत्य पाये जाने पर अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का निर्णय मान्य होगा।
13. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा द्वारा निविदाकार को निविदा मे स्वीकृत दर के आधार पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जी.एम.एच.रीवा द्वारा सत्यापित देयक प्रस्तुत करने पर भुगतान दिया जावेगा।

14. निविदाकार द्वारा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर निविदा रद्द करने का अधिकार अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा होगा।
15. निविदा अवधि समाप्त होने पर निविदाकार द्वारा चिकित्सालय में स्थापित कराये गये उपकरणों को चिकित्सालय प्रबंधन को चालू हालत में सौंपना होगा।
16. निविदाकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन से नियमानुसार काटे गये ई.पी.एफ. एवं देय अन्य करों आदि की जानकारी से अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय को नियमित रूप से अवगत कराना होगा। निविदाकार पर नियमों के अन्तर्गत वेतन, ई.पी.एफ. एवं वेतन से काटे जाने वाले वैधानिक अंशदान तथा अन्य वैधानिक करों को जमा करने का दायित्व होगा।
17. निविदाकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की स्वीकृति बैगर केन्द्रीय पंजीयन कार्य में उपयोग होने वाले उपकरणों के अतिरिक्त अन्य कोई उपकरण संस्था के कैम्पस या आवंटित जगह पर नहीं लगा सकेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी या उनके प्रतिनिधि किसी भी समय आवंटित परिसर का निरीक्षण कर सकेंगे एवं अव्यवस्था पाये जाने पर निराकरण हेतु आदेश का अधिकार होगा।
18. निविदाकार का यह कर्तव्य होगा की मरीजों अथवा मरीजों के सगे—सबंधियों के साथ हुये किसी मतभेद/वाद—विवाद हेतु पुलिस/न्यायालय जाने के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा या उनके प्रतिनिधि को सूचित करना जरूरी होगा एवं प्रदेश शासन के नियमों का पालन करना होगा।
19. सफल निविदाकार को अपने स्टाफ की नियुक्ति एवं उनके बदलाव/परिवर्तन का अधिकार होगा। निविदाकार को कार्य पर लगे स्टाफ की सूची एवं परिवर्तन करने की सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जी.एम. एच. रीवा को लिखित रूप से देनी होगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्टाफ पर नियन्त्रण एवं निर्धारण का अधिकार नहीं होगा।
20. सफल निविदाकार को अपने सभी कम्प्यूटर्स एवं संबंधित उपकरणों को पूरे समय अच्छी हालत में रखना आवश्यक है एवं शत प्रतिशत अप—टाइम देना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर्स या अन्य उपकरणों में आई खराबी को तुरन्त दूर करना होगा। अन्यथा चिकित्सालय को होने वाली क्षति एवं मरीजों की असुविधा के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. निविदाकार चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों/नर्सिंग स्टाफ एवं उन पर आश्रित परिवार जनों का उपचार बी.पी. एल. मरीजों के समान निशुल्क ओ.पी.डी., आई पी. डी टिकिट, जांच रसीदें जारी करने हेतु कोई शुल्क प्राप्त नहीं करेगे। प्रदेश शासन द्वारा चिह्नित बी.पी.एल., दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के गरीब मरीजों, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, भवन संनिर्माण कर्मकार योजना मण्डल एवं सेवानिवृत्त म0प्र0 शासकीय सेवाकों एवं स्वतंत्रत्रा संग्राम सेनानीयों, राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना, आपातकालीन मरीजों (जैसे— सड़क दुर्घटना, अपदा—विपदा) एवं अति गरीब मरीज जिसके पास किसी भी योजना का हितग्राही कार्ड उपलब्ध नहीं होगा ऐसे मरीजों को संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा लिखने पर पंजीयन निःशुल्क करना होगा।

22. करार मे वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर निविदाकार का ठेका समाप्त किया जा सकेगा और इस दशा मे उपयोगकर्ता को यह अधिकार होगा की निविदाकार की जमा सुरक्षा निधि को दण्ड स्वरूप राजसात कर लें।
23. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति अपनी आवश्यकतानुसार करार पत्र मे कोई अतिरिक्त कंडिका का समावेश कर सकेगी इस हेतु निविदाकार की सहमति वांछित होगी।
24. प्रारंभिक तौर पर निविदा 03 वर्ष के लिये होगी। निविदा की अवधि का विस्तार भी किया जा सकता है जिसका पूर्ण अधिकार श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय को होगा। निविदा मे पूछे गये सवालों का जबाब सीधा होना चाहिये। किसी प्रकार का संशय करने वाला या द्विर्थी जबाब न दिया जावें।
25. यदि किसी भी कर्मचारियो के द्वारा फी मरीजो से किसी भी प्रकार का भुगतान लिया जाता है तो उसका जुर्माना निविदाकार से लिया जावेगा। तथा संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
26. प्रतिदिन रजिस्टर्ड होने वाले ओ पीडी एवं आई.पी.डी, ओल्ड मरीजो एवं डिस्चार्ज होने वाले मरीजो के नामों की सूची का प्रिंट आउट कम्प्यूटर से निकाल कर केन्द्रीय पंजीयन नोडल अधिकारी को सौपना होगा व अन्य प्रकार की रीपोर्ट केन्द्रीय पंजीयन नोडल अधिकारी के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर निकालने की व्यवस्था करनी होगी।
27. प्रतिदिन एकत्र होने वाली राशि समरी के साथ नोडल अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ यह भी लिखकर देना होगा की मेरे द्वारा जमा की गई राँ। रिपोर्ट में दर्शाये गये आंकड़ों के अनुसार है तथा इसमें किसी प्रकार की हेरा फेरी नहीं है। अगर कोई हेरा-फेरी होती है तो उसकी पूर्ण रूप से मेरी जबाबदारी होगी। नोडल अधिकारी इसका सत्यापन करेंगे।
28. एम.एल.सी., नान एम.एल.सी मृत्यु फाइल हमेंशा के लिये हार्ड डिस्क मे स्टोर करके रखना होगा। इसकी माहवार सी.डी /हार्ड कापी तैयार कर प्रभारी अधिकारी आकस्मिक चिकित्सा विभाग को देना अनिवार्य होगा।
29. विभागावार सभी बीमारियों का पंजीयन रिकार्ड पृथक से सूचीबद्ध करना होगा एवं इसकी माहवार सी.डी /हार्ड कापी तैयार कर प्रभारी अधिकारी आकस्मिक चिकित्सा विभाग को देना अनिवार्य होगा।
30. विद्युत अवरोध होनें पर कम्प्यूटर सतत चालू रखनें हेतु निविदाकार को स्वयं के व्यय पर यू.पी.एस.(कम्प्यूटर बैट्री बैकअप) लगाना अनिवार्य होगा।
31. निविदाकार द्वारा सभी कम्प्यूटर स्वयं के व्यय पर स्थापित किये जावेंगे एवं उन पर किसी भी प्रकार की खराबी आनें पर व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
32. एम.आर.डी. मेडिकल रिकार्ड डिपार्टमेन्ट कक्ष के लिये विभागों से रिकार्ड लाने-ले जाने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
33. निविदाकार/नियुक्त कर्मचारियों द्वारा साफ्टवेयर एवं कम्प्यूटर चलाने का प्रशिक्षण चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालयीन स्टॉफ को दिया जावेगा इस हेतु प्रबंधन द्वारा सूची उपलब्ध कराई जावेगी। इसके लिये किसी भी प्रकार का भुगतान निविदाकार को नहीं किया जावेगा।
34. ओ.पी.डी. आई.पी.डी. के टिकिट की साईज ए-4 पेपर पर एवं जॉच रसीदों एवं विजटर पास की साईज ए-8 होगी। डिस्चार्ज टिकिट की साईज ए-4 होगी।
35. सभी प्रकार के कम्प्यूटर कंजूमेबल, बैकअप मीडिया, प्री प्रिंट्रेंड कम्प्यूटर स्टेशनरी आदि पर होने वाला समस्त व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।

36. सभी विवादों का निपटारा रीवा स्थिति माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत होगा।
37. एम.सी.आई. के मापदण्डानुसार नए व पुरानें मरीजों का पंजीयन पृथक—पृथक विभागवार करना अनिवार्य होगा। इसका प्रावधान निविदाकार को अपनें साफ्टवेयर में करना अनिवार्य होगा।
38. सफल निविदाकार को एम.सी.आई के मापदण्ड अनुसार न्यूनतम आवश्यक स्टाफ एम.आर.डी. के लिये नियुक्त करना होगा।
39. चिकित्सालय की भण्डार क्रय समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त / अमान्य करने का अधिकार होगा।
40. निविदा के तकनीकी बिड के साथ संलग्न किये गये सभी दस्तावेज़ों में पेजिंग कर उनमें फ्लैग लगाना अनिवार्य होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा म.प्र

संजय गांधी स्मृति एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय मे केन्द्रीय पंजीयन व्यवस्था एवं एम.आर.डी.
को आउट सोर्स करने हेतु निविदा प्रक्रिया

लिफाफा क्रमांक :- ए

1. धरोहर राशि रूपये 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) का डी.डी. जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम देय होगा।
2. आवेदन पत्र।
3. घोषणा पत्र।
4. कहीं ब्लैकलिस्ट नहीं किय गया हैं इस आशय का नोटरीकृत शपथ पत्र।
5. निविदा फार्म हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित (निविदा फार्म के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर हो)।
6. विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. फर्म/कम्पनी का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र।
8. विगत दो वर्षों की फर्म/कम्पनी की बैलेन्स सीट जो कि किसी सी.ए. द्वारा जारी की गई हो।
9. पेन कार्ड की छायाप्रति।
8. कम से कम 100 बिस्तरों वाले शासकीय चिकित्सालयों में केन्द्रीय पंजीयन व्यवस्था एवं मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेन्ट संधारण का कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं कार्य आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। मॉगे जाने पर मूल प्रमाण पत्र एवं कार्य आदेश की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

चेक लिस्ट ;लिफाफा ए मे रखने हेतु)

(संलग्न दस्तावेज)

लिफाफा ए तकनीकी बिड— चेक लिस्ट

क्र.	निविदा के साथ वांछित आवश्यक दस्तावेज	निविदाकार द्वारा टिक किया जावे पृष्ठ क. दर्शया जावे	क्य समिति द्वारा टिक किया जाये।
		हां / नहीं	हां / नहीं
1.	मूल निविदा प्रपत्र मे प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर व सीलयुक्त मूलतः		
2.	अमानत राशि के रूप मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम रु. 100000.00 (एक लाख) का डी.डी क्रमांक..... दिनांक.....		
3.	फर्म / संस्था की रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति जिसमे फर्म / संस्था का व्यवसाय साफ़्वेयर डेवलपमेन्ट, इनफार्मेशन टेक्नालॉजी आदि का उल्लेख हो।		
4.	आयकर रिटर्न वर्ष 2011–12,2012–13,2013–14 की रसीद		
6.	सर्विस टैक्स जमा करने के चालान की छायाप्रति।		
7.	100.00 राशि के नान जूडिसियल स्टेम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलतः		
8.	100 बिस्तरों वाले शासकीय चिकित्सालय मे केन्द्रीय पंजीयन व्यवस्था एवं मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेन्ट संधारण का कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र.		
9	पैन कार्ड की छायाप्रति		
11	सर्विस टैक्स नं. की छायाप्रति		
12	02 वर्ष की बैलेंस सीट सी.ए. द्वारा प्रमाणित 2012–13,2013–14 जिसमे टर्न ओवर रु. 10.00 लाख		

	से कम न हो।		
13	दर सूची (प्राइस बिड)		

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

लिफाफा क्रमांक :- बी

(प्राइस बिड)

क्रमांक	विवरण	दर अंकित करें
1.	निविदा शर्तों में उल्लेखित सभी सेवाओं के लिये 20 आधुनिक नेटवर्क कम्प्यूटरों से पंजीयन व्यवस्था एवं एम.आर.डी. संधारण हेतु ली जानें वाली संपूर्ण राशि की मासिक दर (प्रतिमौह)	
2.	देय कर की राशि पृथक—पृथक दर्शायें	
	राशि का योग	
	प्रति अतिरिक्त कम्प्यूटर स्थापना हेतु राशि (प्रतिमौह)	

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय
रीवा (म0प्र0)

विषय:— गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा में केन्द्रिय पंजीयन का कार्य एवं एम.आर.डी. समस्त अनुसंधरण का कार्य आउट सोर्स माध्यम से संचालित करने हेतु निविदा फार्म जमा करने बावत्।

—0—

आपके द्वारा जारी किया गया निविदा क्रमांकदिनांकके पालन में हम (फर्म / निविदाकार का नाम) आपके चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय में केन्द्रिय पंजीयन कार्य एवं एम.आर.डी. (एम.सी.आई. अनुसार) के संपादन हेतु निविदा फार्म सभी शर्तों के साथ जमा कर रहा हूँ। मैंने/हमने सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है। यदि मेरी बिड आपके द्वारा स्वीकार की जाती है तो आपके द्वारा की गई एप्लूव दर पर अनुबंध करूँगा एवं भविष्य में भी आपके द्वारा दी गई शर्तों को मान्य करूँगा।

आपका शुभेच्छु

नामांकित हस्ताक्षरी
(फर्म का पूरा नाम, हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम एवं पद, सील सहित)

दिनांक		फोन न.		फैक्स न.	
स्थान		मोबाइल न.		ई-मेल आई.डी.	

(इस पत्र को फर्म/कम्पनी अपने अधिकृत लेटर पैड पर ही देवें)

घोषणा पत्र

मैं पद

कम्पनी/फर्म का नाम

.....कम्पनी/फर्म का नामांकित हस्ताक्षरी होने के कारण शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैंने निविदा की सभी शर्तें पढ़ एवं समझ लिया हूँ जो कि आउट सोर्सिंग के माध्यम से श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय हेतु केन्द्रीय पंजीयन कार्य के संपादन हेतु मजूर करता हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम

पद

कार्यालय का पता

(कार्यालयीन सील)

100 रु0 (एक सौ रु.) के नान जूडिसियल स्टाम्प पेपर में प्रस्तुत करें

घोषणा पत्र (अपथ पत्र)

1. मैं/हम भारत के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिये सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें चिकित्सालय में तथा म.प्र. भासन के किसी विभाग द्वारा बहिश्कृत नहीं किया गया है हमारी संस्था को किसी भी भासकीय/अद्वृत भासकीय/स्व भासी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर जो कि म.प्र. भासन के किसी विभाग द्वारा बहिश्कृत किया गया हो न तो अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की भार्ता के अलावा अन्य कोई भार्ता प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई भार्ता प्रस्तुत की गयी है तो उसे अमान्य किया जाये।
6. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा म.प्र. राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
7. मेरे/हमारे/संस्था के उपर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार का कोई कर बकाया नहीं है।
8. हमारी संस्था के विरुद्ध सी.बी.आई0/शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जाचं लबित नहीं है। नाहीं सक्षम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
9. हमारे/मेरे द्वारा सप्लाई की गई मांग अनुसार गुणवता की जिम्मेवारी मेरी होगी।

गवाह के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.....
.....व पता.....
2. गवाह का नाम.....
.....व पता.....
.....

निविदाकार के हस्ताक्षर

- संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम.....
पता.....
- संस्था का नाम एवं पता.....
.....

